अध्याय 4: सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण से संबंधित अनुपालन मुद्दे

निष्पादन लेखापरीक्षा सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा निर्धारण प्रक्रिया के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुपालन की प्रकृति तथा सीमा की जाँच को परिकल्पित करता है।

सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के संबंध में निर्धारण अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में कटौतियों की गलत अनुमति, निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारण से छूट गई आय आदि से सम्बंधित गलतियों को देखा । यह अध्याय उपरोक्त निर्धारितियों के संबंध में निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा संबंधित नियमों/न्यायिक घोषणाओं तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को लागू करने में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा मामलों की कार्यवाई से संबंधित है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरियों की ओर इशारा करते है जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 8,470 मामलों के नमूने शामिल किए गए, जिसमें लेखापरीक्षा ने 730 मामलों का अवलोकन किया जिसमें ₹ 12,198.18 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम के सामान्य प्रावधान संकलित नहीं थे। निर्धारण तथा तद्नुसार कर प्रभाव में देखी गई गलतियों को तालिका 4.1 में संक्षेपित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

तालिका 4.1 निर्धारण में पाई गई गलतियों के प्रकार

क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	ब्याज/शास्ति आदि के उद्ग्रहण में गलतियां	277	40.49
2	व्यय, कटौतियों आदि की अनियमित अनुमति	184	376.07
3	आय, कर, अधिभार आदि की गणना में गलतियां	104	1315.93
4	आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया	43	22.24
5	टीडीएस प्रावधानों से संबंधित गलतियां	38	45.63
6	हानि आदि का अनियमित समंजन	36	147.89
7	मूल्यह्रास की गलत अनुमति	22	54.64
8	निर्धारण के दौरान अन्य गलतियां	12	1.12
9	आय/अधिप्रभार आदि का अधिनिर्धारण	11	577.95
10	बेहिसाबी निवेश/व्यय आदि	4	9616.23
	कुल	**730**	**12,198.18**

4.1 सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण में अनियमितताओं की रूपरेखा

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण में अनियमितताओं का राज्य/क्षेत्र वार विवरण चार्ट 4.1 में नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 4.1: अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण में राज्य/क्षेत्र-वार अनियमितताएं

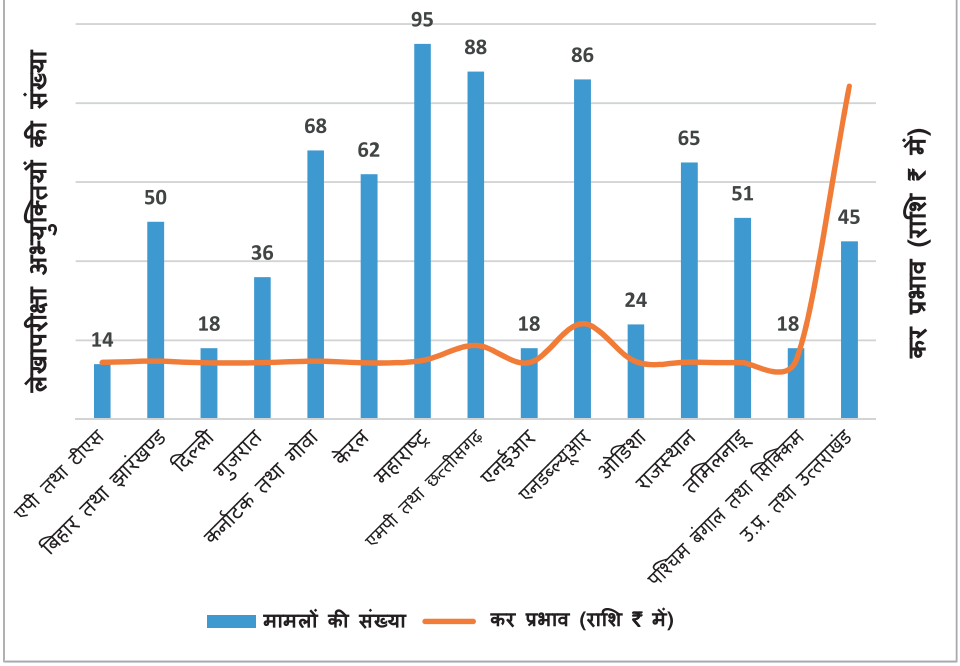

सहकारी समितियों/सहकारी बैंको के निर्धारणों के पैन पंजीकण श्रेणी विवरण के अनुसार, लेखापरीक्षा में एजेपी, एओपी (ट्रस्ट), बीओआई, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी तथा कम्पनी के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में अनियमितताओं (अनियमितताओं का 20.7 *प्रतिशत*) के उदाहरण देखे । जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में बताया गया है, आयकर विभाग सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा कर अनुपालन की प्रभावी निगरानी को सहज बनाने तथा आयकर विभाग के पास करदाताओं रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के समान वर्ग के पैन पंजीकरण श्रेणी में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों/सहकारी बैंको के तौर पर आय कर रिटर्न फाइल करने वाले निर्धारितियों के पैर पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

जैसा की सहकारी समितियों/सहकारी बैंको के निर्धारणों के गतिविधि वार विवरण में देखा गया है, लेखापरीक्षा में बैकिंग, साख तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के निर्धारण में अनियमितताओं का 67.6 *प्रतिशत* देखा गया, जिसके बाद कृषि तथा संबंध गतिविधियों, व्यापार, डेयरी व्यवसाय, आवास/नागरिक निर्माण तथा चीनी के विनिर्माण में लगी हुई समितियों में क्रमश: 6.3 *प्रतिशत*, 6.2 *प्रतिशत*, 4 *प्रतिशत*, 3.5 *प्रतिशत* तथा 3.3 *प्रतिशत* अनियमितताएं देखी गई। आयकर विभाग सहकारी समितियों और बैंको के संबंध में सही निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए बैकिंग, साख तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रों पर अधिक जोर देने के साथ ऐसी अनियमितताओं के कारणों की समीक्षा कर सकता है।

730 मामलों में, जहाँ लेखापरीक्षा में कटौती की अनुमति में गलतियाँ देखी गई, 539 मामलों का (73.8 *प्रतिशत*) संवीक्षा के अर्थत अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण किया गया। 543 संवीक्षा निर्धारण मामलों में से, 364 मामलों में संवीक्षा पूरी की गई थी तथा 98 में यह सीमित[111] थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 465 मामलों में से, जहाँ चयन के लिए मापदंडों का ब्यौरा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध था, 131 मामले में अधिनियम की धारा 80पी के तहत क्रमश: ₹ 193.93 करोड़ तथा ₹ 172.75 करोड़ की कटौती की अनुमति तथा दावा शामिल थे, जाँच के लिए मामले के चयन का मापदंड ''अध्याय VI-ए के तहत दावा की गई बड़ी कटौती'' के कारण था जिसमें धारा 80पी शामिल थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में निर्धारिती अधिकारियों द्वारा कई जोखिम मापदण्डों पर आधारित विस्तृत जाँच के अनुसार किए गए निर्धारणों के

111 आठ मामलों में चयन के प्रकार की मैनुअल संवीक्षा की गई थी जबकि 69 मामलों में संवीक्षा के प्रकार का विवरण सुनिश्चित करने योग्य नहीं था।

बावजूद और अनियमितताएं पाई गई। गलत निर्धारण के ये उदाहरण आय की पात्रता की अपर्याप्त जाँच तथा निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की ओर इशारा करते है।

4.2 आय, कर, अधिभार इत्यादि की गणना में गलतियां

सहकारी समितियों के मामले में उद्ग्राहय आयकर प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के वित्त अधिनियम के लिए पहली अनुसूची के भाग-III के पैरा बी के तहत निर्दिष्ट किया गया था। सहकारी समितियां, जिनकी कुल आय एक करोड़ से ज्यादा थी, के संबंध में आयकर पर अधिभार भी निर्दिष्ट दर पर उद्ग्राहय था। निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिभार 10 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राहय है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति जो निवासी है, के पिछले वर्ष की कुल आय, जो भी प्राप्त की गई है या उस व्यक्ति की ओर से भारत में प्राप्त होने वाले या उस स्रोत से प्राप्त की गई सभी आय शामिल है; या उस वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित करने या उत्पन्न करने के लिए उपार्जित या उत्पन्न किया जाता है, या समझा जाता है।

निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी कर निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारणों के इन मामलों में आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय गलतियां, कर तथा अधिभार को गलत दरों पर लागू करना आदि आयकर विभाग में आतंरिक नियंत्रण में कमी दर्शाता है जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में 13 राज्यों[112] के 104 मामलों में पाया गया कि जहां आय, कर की गणना में गलतियों तथा कर और अधिभार के गलत दरो में लागू करने से ₹ 1,351.93 करोड़ के कर की कम उगाही हुई थी। दो मामलों को नीचे चित्रित किया गया है (बॉक्स 4.1 देखें)।

बॉक्स 4.1: कर, अधिभार आदि की गणना में गलतियों का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र.सीआईटी, फैजाबाद

नि.व.: 2015-16 और 2016-17

निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए, एक एओपी, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण क्रमश: ₹ 333.57 करोड़ तथा ₹ 143.96 करोड़ की आय का निर्धारण फरवरी 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि कर माँग की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया था हालांकि वही नि.व. 2015-16 के लिए 10 *प्रतिशत* की दर पर

112 आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना राज्य, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

तथा नि.व. 2016-17 के लिए 12 *प्रतिशत* की दर पर उद्ग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप नि.व. 2015-16 तथा नि.व. 2016-17 के लिए ब्याज सहित क्रमश: ₹13.91 करोड़ तथा ₹ 6.57 करोड़ का कम उदग्रहण किया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार किया। आयकर विभाग ने सूचित किया (मार्च 2020) कि दोनों निर्धारण वर्षों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी (दिसम्बर 2019)।

ख) प्रभार: प्र.सीआईटी, रोहतक

नि.व.: 2014-15

एक निर्धारिती एओपी का संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में ₹ 1.29 करोड़ की आय निर्धारित कर पूरा कर लिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने बैलेंस शीट में अतिदेय ब्याज रिजर्व अकाउंट ₹ 0.70 करोड़ तक कम कर दिया था। हालांकि, किसी भी अशोध्य तथा संदिग्ध कर्ज को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.24 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 0.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

कर तथा अधिभार को गलत दरों में लागू करना तथा आय व कर आदि की गणना में अंकगणितीय गलतियाँ निर्धारण प्रक्रिया तथा आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर इशारा करता है जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग कर, अभिभार इत्यादि की गणना में ऐसी गलतियों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.3 ब्याज/शास्ति के उद्ग्रहण की गलतियां

लेखापरीक्षा ने देरी से फाइल किए गए रिटर्न के लिए प्रभारित ब्याज की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारणों की जाँच की, जहाँ ऐसे निर्धारितियों द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे *प्रतिशत* से कम था या भुगतान किया गया अग्रिम कर रिटर्न आय पर देय कर के निर्धारित *प्रतिशत* से कम था या अधिनियम की धारा 143(1) के तहत वापस की गई राशि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित निर्धारण पर वापस करने योग्य राशि के अधिक है। लेखापरीक्षा ने 16 राज्यों[113] के 277 मामलों में पाया कि आयकर विभाग ने इस अधिनियम के

113 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

प्रावधानों के अनुसार ब्याज नहीं लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.49 करोड़ के ब्याज का कम प्रभार/शास्ति का अनुद्ग्रण हुआ। तीन मामलों को नीचे चित्रित किया गया है (बॉक्स 4.2 और 4.3 देखें)।

4.3.1 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां/ब्याज की वसूली में गलतियाँ

इस अधिनियम में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में निर्दिष्ट दरों और निदिष्ट समयावधि के लिए किया गया आय की विवरणी को प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 234बी में निर्दिष्ट दरों और निर्दिष्ट समयावधि में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234सी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में ₹ 26.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले 101 मामले देखे गए जहां आय की विवरणियों को प्रस्तुत न करने या प्रस्तुत करने में देरी के कारण ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां, अग्रिम कर के भुगतान में चूक, अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक, आयकर विभाग द्वारा की गई कर मांग के भुगतान में चूक आदि था। दो मामलें बॉक्स 4.2 में चित्रित है।

बॉक्स 4.2: ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियों का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र. सीआईटी 2, जोधपुर, राजस्थान
नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2016 में ₹ 88.66 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने नवम्बर 2014 में नि.व. 2014-15 के लिए आय का अपना रिटर्न फाइल किया था, जो रिटर्न फाइलिंग की नियत तिथि से दो महीने की देरी से था। कर मांग की गणना करते समय, ब्याज जो विलंबित अवधि के लिए अधिनियम की धारा 234ए(1) के तहत प्रभारित किया जाना अपेक्षित था, प्रभारित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 0.10 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2018) और अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, भोपाल

नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में ₹ 111.47 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती अधिकारी द्वारा कर मांग की गणना करते समय अधिनियम की धारा 234सी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 0.46 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज का ₹ 0.13 करोड़ तक कम उद्ग्रहण भी हुआ था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धाराओं 234बी और 234सी के तहत ₹ 0.58 करोड़ के ब्याज का कुल कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

4.3.2 शास्ति के उद्ग्रहण में गलतियां

अधिनियम की धारा 269एसएस यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बैंक ड्राफ्ट/खाता प्राप्तकर्ता बैंक चेक के अलावा ₹ 20,000 से अधिक कोई ऋण/जमा प्राप्त/स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रावधान के उल्लंघन में अधिनियम की धारा 271डी के तहत शस्ति ऐसे ऋण/जमा के बराबर राशि पर उद्ग्रहण की जाएगी। अधिनियम की धारा 269टी प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बैंक ड्राफ्ट/खाता प्राप्तकर्ता चेक के अलावा ₹ 20,000 से अधिक कोई ऋण/जमा का पुनर्भुगतान नहीं करेगा तथा इस प्रावधान के उल्लंघन में, अधिनियम की धारा 271ई के तहत पुनर्भुगतान की गई राशि के समान शास्ति लगाई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने ₹ 13.82 करोड़ के कर प्रभाव वाले 176 मामलें देखे जहाँ निर्दिष्ट प्रणाली में ऋणों या जमा के पुर्नभुगतान या स्वीकार्यता के संबंध में अधिनियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के कारण शास्ति के उद्ग्रहण में गलतियां थी। बॉक्स 4.3 में एक मामला चित्रित किया गया है।

बॉक्स 4.3: शास्ति के उद्ग्रहण में गलतियों का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-5, अहमदाबाद

नि.व.: 2013-14

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2015 में ₹ 0.53 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने एक खाता प्राप्तकर्ता चेक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट के अलावा ₹ 0.88 करोड़ के ऋण या जमा

को स्वीकार किया था जैसाकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सीए द्वारा प्रतिवेदित किया गया था परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई शास्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.88 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण शास्ति तथा ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों के कारण ब्याज/शास्ति की परिहार्य हानि हुई, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ब्याज तथा शास्ति के उद्ग्रहण में ऐसी गलतियों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.4 व्यय, कटौतियों आदि की अनियमित अनुमति

उप-धारा (2) के प्रावधानों की दशा में, अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अनुसार, कोई अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि, जो पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की राशि अशोध्य के रूप में बट्टे खाते में डाली जाती है। बशर्ते एक निर्धारिती के मामले में जहाँ खंड (viiए) लागू होता है, किसी ऐसे ऋण या उसके हिस्से से संबंधित कटौती की राशि ऐसी राशि तक सीमित होगी जिस तक ऐसा ऋण या उसका हिस्सा इस खंड के बनाए गए अशोध्य व सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में क्रेडिट बैंलेस से ज्यादा है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार, कोई व्यय (अधिनियम की धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय न होने तथा निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न होना) पूरी तरह से या विशेष रूप से व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए "व्यवसाय या पेशे के लाभ तथा मुनाफे" के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

अधिनियम की धारा 43बी के अनुसार कुछ सांविधिक व्ययों का केवल भुगतान के वर्ष में ही दावा किया जा सकता है।

अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रावधान अधिनियम के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन विभिन्न कटौतियों तथा व्ययों के दावे के लिए निर्धारिती को अनुमति देता है। यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यय/कटौतियों को अनुमति न देने जाना अपेक्षित है तथा निर्धारिती अधिकारियों द्वारा कर योग्य आय को वापिस जोड़ा जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने 17 राज्यों[114] में 184 मामलें देखे गए जहाँ एओ ने

114 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

₹ 376.07 करोड़ के कर प्रभाव सहित व्ययों तथा कटौती की अनियमित अनुमति दी। दो मामलों को अगले पृष्ठ पर चित्रित किया गया है:

बॉक्स 4.4: व्यय, कटौती आदि की अनियमित अनुमति का निदर्शी मामला।

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-त्रिश्शूर
नि.व.: 2015-16

एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी बैंक, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 2.40 करोड़ की आय पर नवम्बर 2017 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अशोध्य तथा सदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए ₹ 1.40 करोड़ की राशि की पूरी आय की गणना करते समय कटौती की गई थी जिसके लिए लाभ तथा हानि खाते में कोई क्रेडिट प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी। यह अधिनियम के प्रावधान के तहत एक अनुमति योग्य कटौती नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ की आय की कम गणना तथा ₹ 0.65 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस जारी किया गया था (अगस्त 2019)।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, कोल्हापुर
नि.व.: 2016-17

एक एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी बैंक, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, दिसम्बर 2018 में ₹ 16.73 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने नि.व. 2015-16 के लिए कर्मचारियों के बोनस/कमीशन के लिए अग्रेनीत भत्ते के रूप में ₹ 2.22 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। कटौती की राशि को न तो गणना में, न ही रिपोर्ट में दर्शाया गया था, इसके अतिरिक्त उसे उस वर्ष की कुल आय में भी वापिस नहीं जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 2.22 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

आयकर विभाग अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कटौतियों तथा व्यय अस्वीकार्य दावों तथा मदों की अनियमित अनुमति के कारणों की समीक्षा कर सकता है। आयकर विभाग निर्धारण अधिकारी द्वारा गलती से अनुमति दी गई कटौतियों तथा व्यय की ऐसी मदों की पहचान कर सकता है तथा दावों व कटौतियों के निर्धारण के दौरान ऐसी अनियमितताओं की

पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए उसकी एक चेकलिस्ट तैयार कर सकता है।

4.5 टीडीएस प्रावधानों से संबंधित गलतियां

अधिनियम की धारा 40(ए)(ia) के प्रावधान के तहत, ब्याज का कोई भुगतान, कमीशन या ब्रोकरेज, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, जिस पर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती की जाती है तथा इस तरह से कर में कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद भुगतान नहीं किया गया है, व्यवसाय या पेशे के शीर्ष लाभ तथा मुनाफे के तहत प्रभार्य आय की गणना करने में कटौती नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा में ब्याज, कमीशन या ब्रोकरेज, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, जिस पर कर की कटौती अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर की जानी है, के भुगतान पर टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करने के लिए मामलों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में 8 राज्यों[115] के 38 मामलें पाए गए, जहाँ निर्धारिती ने टीडीएस नहीं काटा है या गलत तरीके से अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए काटा गया है जिससे ₹ 45.63 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ है। मामलों में से एक नीचे चित्रित किया गया है (बॉक्स 4.5 देखे):

बॉक्स 4.5: अधिनियम की धारा 40(ए)(ia) के तहत व्यय की अनियमित अनुमति का निदेर्शी मामला

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-मुजफ्फरपुर
नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 176.93 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने जीएमडीएस एजेंट को ₹ 2.75 करोड़ की राशि के कमीशन का भुगतान किया गया था। चुंकि भुगतान किए गए कमीशन पर टीडीएस नहीं काटा गया या, उसे कुल आय में वापिस जोड़ने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.75 करोड़ की कम गणना की गई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। (जून 2020)।

टीडीएस की कटौती न करने या टीडीएस की गलत कटौती पर कर का अनुद्ग्रहण निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक की ओर इशारा करता है जिससे

115 बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान

कर की अपरिहार्य हानि हुई, जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ऐसी गलतियों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा का सकता है।

4.6 निर्धारण से छूटी हुई आय

अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, लिखित में आदेश के द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा तथा किसी ऐसे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्धारण के आधार पर उसको देय राशि का प्रतिदाय या उसके द्वारा देय किसी राशि का निर्धारण करता है जो निर्धारिती प्रस्तुत करता है तथा ऐसे अन्य साक्ष्यों जिनकी निर्धारण अधिकारी को उसके द्वारा एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद विशेष बिंदुओं पर आवश्यकता हों।

लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए मामलों की जांच की गई थी कि क्या कुल आय, कर तथा ब्याज की गणना करते समय निर्धारण के दौरान दावों और भत्तो की जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा ने 6 राज्यों[116] में 43 मामलें देखें जहाँ आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम में दी गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए पिछले वर्षों केरिटर्न/ निर्धारित आय/अनावशोषित मूल्यह्रास अग्रेनित हानियों की जांच के बिना व्यय की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.23 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। दो मामलों बॉक्स 4.6 में नीचे चित्रित किए गए है:

बॉक्स 4.6: निर्धारण से छूटी हुई आय का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र.सीआईटी-हुबली, कर्नाटक

नि.व.: 2015-16

यह मामला संवीक्षा निर्धारण के लिए चुना नहीं गया था तथा अधिनियम की धारा 143(1) के तहत शून्य आय पर संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी समिति, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 8.48 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा उसे अनुमति दी गई थी। आगे यह भी देखा गया था कि निर्धारिती को इस वर्ष को छोड़कर अन्य वर्षों के लिए संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था तथा अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का निर्धारिती द्वारा नियमित तौर पर दावा किया जा रहा था तथा निर्धारण के दौरान नियमित तौर पर अननुमति दी गई थी। इस प्रकार, संवीक्षा निर्धारण के लिए मामले का चयन न

116 दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और गोवा, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश

होने से ₹ 3.57 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 8.48 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र.सीआईटी, करनाल

नि.व.: 2014-15

एओपी के तौर पर निर्धारित एक पीएसीएस, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 0.55 करोड़ की हानि पर अगस्त 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली उपयोग कर रहा था परन्तु वर्ष के दौरान बकाया अतिदेय ब्याज राशि ₹ 7.70 करोड़ को लाभ तथा हानि खाते में नहीं डाला गया था, न ही आय की गणना के समय इसे जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.38 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 7.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

निर्धारण के दौरान दावों तथा अनुमतियों का सत्यापन न करना निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गई चूको की ओर इशारा करता है जिससे कर की परिहार्य हानि हुई, जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ऐसी चूकों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.7 मूल्यह्रास की गलत अनुमति

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धार 32(i) के अनुसार, निर्धारिती द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वाधिकृत, मूर्त परिसंपत्तियों के नाते भवनों, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर के डब्ल्यूडीवी पर निर्दिष्ट दरो पर मूल्यह्रास अनुमति योग्य है तथा व्यवसाय या पेशे के लिए उपयोग की जाती है।

लेखापरीक्षा ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा विषयाधीन मूल्यह्रास की अनुमति में शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने 9 राज्यों[117] के 22 मामलें देखे जहाँ आयकर विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मूल्यह्रास की गलत अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 153.91 करोड़ की आय का कम निर्धारण तथा ₹54.64 के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। दो मामलों को नीचे बॉक्स 4.7 में चित्रित किया गया है:

117 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु।

बॉक्स 4.7: कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्रसीआईटी 1, मुम्बई

नि.व.: 2014-15

एक एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी बैंक, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 176.24 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने साख पर मूल्य ह्रास का दावा किया था तथा मूल्यह्रास की अनुमति दी गई थी। हालांकि, ऐसा कोई मूल्याह्रास बही में डेबिट नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.39 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 121.75 करोड़ के मूल्याह्रास की गलत अनुमति दी गई थी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र.सीआईटी 4, अहमदाबाद

नि.व.: 2014-15

एक एओपी, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, ₹ 11.72 करोड़ की रिटर्न आय को स्वीकारते हुए दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला था कि निर्धारिती ने ₹ 1.59 करोड़ के मूल्य के वाणिज्यिक वाहनों अर्थात टैंकरों तथा कारों की खरीद पर ₹ 0.30 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यह्रास का दावा किया था। निर्धारण में अनुमत दावे के कारण ₹ 0.30 करोड़ का कम-निर्धारण तथा ₹ 0.15 करोड़ के कर का कम-उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने उत्तर में कहा कि उपरोक्त परिसंपत्तिया ब्लाक प्लांट तथा मशीनरी के अंतर्गत आते है, इसीलिए इन्हे अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति प्राप्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम के प्रावधान परिवहन वाहनों के अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति का स्पष्ट रूप से खंडन करते है तथा इनका उपयोग किसी अन्य मद या वस्तु के निर्माण में नहीं किया जाता।

मूल्यह्रास की गलत अनुमति निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक के प्रति संकेत करती है जिसके कारण कर की परिहार्य हानि हुई जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.8 हानि का अनियमित समंजन

अधिनियम की धारा 72(1) के अनुसार जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, शीर्ष "कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ" के तहत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि होती है, जो सट्टे के कारोबार में उठाई गई हानि न होने के नाते होती है और इस तरह की हानि धारा के प्रावधानों के अनुसार आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं हो सकती है या समंजित नहीं की जाती, इतनी हानि जिसका अभी तक समंजन नहीं किया गया है, या जहां उसे किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत कोई आय नहीं है, वहां पूरी हानि, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, और इसका उसके द्वारा किए गए किसी कारोबार या व्यवसाय और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धार्य लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हों, के प्रति समंजन किया जाएगा; यदि हानि का पूर्ण रूप से इस प्रकार समंजन नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार समंजन न की गयी हानि की राशि को आगामी निर्धारण वर्ष और इस प्रकार अग्रेनीत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और अध्यधीन हानि में समंजन की अनुमति में शुद्धता का पता लगाने के लिए मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा में 11 राज्यों[118] में 36 मामलों को देखा गया, जहां आयकर विभाग ने इस अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभास में हानि के समंजन की गलत तरीके से अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 147.89 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। नीचे दिए गए बॉक्स 4.8 में दो मामलों का वर्णन किया गया है:

बॉक्स 4.8: अधिनियम की धारा 72(1) के अंतर्गत हानि के अनियमित अग्रेनीत किए जाने का उदहारण

क) प्रभार: पीसीआईटी-पंचकुला
निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती एक एओपी (ट्रस्ट) का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 14.08 करोड़ की आय पर में पूरा हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 में निर्धारिती ने ₹ 14.08 करोड़ की कारोबार हानि को समायोजित करने के बाद ₹ 0.02 करोड़ की आय दर्शाई थी। हालांकि, निर्धारिती ने ₹ 56.70 करोड़ की कुल अग्रेनीत हानि को दिखाया था, जिसमें से उसने निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 14.08 करोड़ की समायोजित हानि और के दौरान ₹ 42.61 करोड़ की अग्रेनीत हानि का लाभ उठाया था। लेकिन, वर्ष

118 बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16, के लिए निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 3.37 करोड़ की वास्तविक निर्धारित हानि निर्धारण वर्ष 2014-15 के हिसाब में ली गयी थी। इस प्रकार, निर्धारिती को ₹ 14.08 करोड़ की अग्रेनयन हानि का अतिरिक्त लाभ मिला, जिसके परिणामस्वरूप कर ₹ 6.48 करोड़ था और ₹ 42.61 करोड़ की अग्रेनीत हानि हुई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: पीआरसीआईटी-1, पटना, बिहार
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती, एक एओपी, का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के अन्तर्गत दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के अन्तर्गत ₹ 11.86 करोड़ और धोखाधड़ी और डकैती के प्रावधान को वापस जोड़ने के कारण ₹ 0.49 करोड़ के वर्धन के बाद ₹ 10.76 करोड़ की हानि पर पूरा किया। यह देखा गया कि निर्धारिती की निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 86.06 करोड़ की आय थी, हालाँकि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए दाखिल की गयी ₹ 109.17 करोड़ की रिटर्न की हानि के आधार पर ₹ 109.17 करोड़ की हानि के समंजन के बाद ₹ 23.11 करोड़ की हानि पर आय (नवंबर 2014) की विवरणी दाखिल की गई थी। निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण अभिलेखों के सहसंबंध में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2013-14 की निर्धारित आय ₹ 16.35 करोड़ थी और इसलिए, समंजन के लिए निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। हालांकि,निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 109.17 करोड़ की हानि का दावा किया था और निर्धारण अधिकारी ने उसे अनुमत किया और ₹ 10.76 करोड़ की हानि पर निर्धारित आय अवधारित की थी। इसके अलावा, कर मांग की गणना करते समय ₹ 10.76 करोड़ की हानि को ₹ 10.76 करोड़ की आय के रूप में लिया गया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 87.65 करोड़ (₹ 98.41 करोड़ - ₹ 10.76 करोड़) की आय की कम संगणना हुई और ₹ 33.74 करोड़ के कर और ब्याज का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

हानियों के समंजन की गलत अनुमति निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक की ओर इंगित करती है, जिसके कारण कर की परिहार्य हानि हई जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.9 अस्पष्टीकृत निवेश / व्यय आदि

अधिनियम की धारा 68 में अनुबद्ध है कि जहां किसी भी राशि को एक निर्धारिती की पुस्तक में जमा किया पाया जाता है और निर्धारिती इसके स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है या उसके द्वारा प्रस्तुत उल्लेख संतोषजनक नहीं है, इस प्रकार साख की गयी राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित किया जा सकता है ताकि दावे का समर्थन करने के लिए समर्थक दस्तावेज के साथ ऋणदाताओं की पहचान, साख और संव्यवहारों की यथार्थता स्थापित की जा सके। अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, जहां निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारिती ने निवेश किया है जो उन लेखा पुस्तकों यदि कोई है, में दर्ज नहीं किया गया है, जिनका आय के किसी भी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखरखाव किया गया है, और निर्धारिती निवेश के स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है या उसके द्वारा किया गया उल्लेख अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो निवेश के मूल्य को ऐसे वित्तीय वर्ष की निर्धारिती की आय माना जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 3 राज्यों[119] में 4 मामलों को देखा, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण पूरा करते समय आयकर विभाग ने अस्पष्टीकृत नकद साख और अस्पष्टीकृत निवेश को हिसाब में नहीं लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,616.23 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। नीचे दिए गए बॉक्स 4.9 में दो मामलों का उदाहरण दिया गया हैं:

बॉक्स 4.9: अधिनियम की धारा 68 और 69 के अन्तर्गत अद्योषित निवेश/व्यय का उदहारण

क) प्रभार: पीसीआईटी-1 लखनऊ

निर्धारण वर्ष: 2013-14

एओपी के रूप में निर्धारण किए गए निर्धारिती, एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का संवीक्षा निर्धारण, कुल ₹ 5,222.52 करोड़ की आय अवधारित करने हुए मार्च 2016 में पूरा किया गया। निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सदस्यों से प्राप्त ₹ 17,877.54 करोड़ के जमा का स्रोत और ₹ 327.75 करोड़ के शेयरधारक की निधि का स्रोत पूरी तरह से सत्यापन योग्य नहीं था। निर्धारण आदेश के पैरा 5 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती शेयरधारकों के 33 मामलों में लेन-देन की क्रेडिट योग्यता या वास्तविकता साबित करने में सक्षम नहीं था, जिन्होंने ₹ 5.00 लाख और उससे अधिक का अंशदान किया था और उनके पास शेष 4016150 (4016183-33)

119 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश

शेयरधारकों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए, ₹ 17877.54 करोड़ की जमा राशि पर 25 *प्रतिशत* और ₹ 327.75 करोड़ के शेयरधारकों की निधि क्रमशः ₹ 4,469.38 करोड़ और ₹ 81.94 करोड़ का अस्पष्टीकृत नकद ऋण निकालने के लिए 25 *प्रतिशत* लागू करना अनियमित था।

चूंकि निर्धारण अधिकारी सदस्यों या शेयरधारकों की निधि से किसी भी पहचान, साख पात्रता या जमा के लेन-देन की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसे ₹ 17877.54 करोड़ की निवल जमा संग्रहण राशि और ₹ 327.75 करोड़ के शेयरधारकों की निधि को अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत अस्पष्टीकृत नकद साख के रूप में मानना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13,653.96 करोड़ के अस्पष्टीकृत नकद साख की कम संगणन हुई और अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत 36 महीनों के लिए ₹ 1,518.87 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 5,737.94 करोड़ के कर का परिणामी कम प्रभार हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी- I, भोपाल

निर्धारण वर्ष: 2015-16

एओपी के रूप में निर्धारण की गई एक सहकारी समिति, एक निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में ₹ 195.70 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने कारोबार के अनुपात के लिए निवल लाभ और समिति द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए संवीक्षा के दौरान सीमित जांच की।

2013-14 में ₹ 105.97 करोड़ से ₹ 8,161.10 करोड़ तक समिति की वस्तुओं के प्रति सदस्यों के अंशदान की प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्ध में पर्याप्त रैड फ्लैग के बावजूद, अधिनियम की धारा 194एच के तहत टीडीएस की कटौती के बिना, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए कमीशन के रूप में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/ सदस्यों को ₹ 648.47 करोड़ का भुगतान; 'अन्य चालू' परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत 'अन्यों को अग्रिम' के रूप में संवितरित 7,124.67 पर अर्जित अथवा उपचित ब्याज को लेखांकन न करने और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 580.09 करोड़ की राशि के समिति द्वारा गैर चालू निवेशों के बावजूद निर्धारण अधिकारी ने अस्पष्ट आय वाले साख ने क्रेडिट (₹ 8,161.10 करोड़), अस्पष्टीकृत निवेश (₹ 7,124.67 करोड़) और अस्पष्टीकृत व्यय (₹ 648.47 करोड़) की आय के संभावित छूटने की संभावना और कर लगाने की संभावना की जांच करने के लिए स्पष्टीकरण और सबूत मांगने पर विचार नहीं किया।

विभाग ने अपने उत्तर (जून 2018) में कहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि मामले को सीएएसएस के तहत सीमित जांच के लिए चुना गया था और निर्धारण अधिकरी को इसमें उल्लेखित मुद्दे के अलावा किसी भी मुद्दे की जांच नहीं करनी थी। यह आगे कहा गया (अप्रैल 2019) कि आपत्तियों में वसूली कुछ मुद्दों पर की जाती है, जो कि रिकॉर्ड पर किसी भी स्पष्ट सबूत के बिना सुझाव के स्वरूप की होती हैं और जिनमें अस्थायी गणना की जाती है। इसके अलावा, मामलों को केवल संदेह या बार-बार जांच के आधार पर फिर से खोला नहीं जा सकता है जहां कोई स्पष्ट सबूत या यह मानने के कारण नहीं हैं कि एक निर्दिष्ट राशि निर्धारण से बच गई है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और सीबीडीटी के निर्देश संख्या 20/2015 दिनांक 29.12.2015 के मद्देनजर भी, लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार्य नहीं है और उठाई गई आपत्तियां समाप्त करने योग्य हैं।

आयकर विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारण अधिकारी के पास पहले से ही सीमित संवीक्षा के किसी भी मामले को "पूर्ण संवीक्षा" में परिवर्तित करने का शक्ति थी, अगर आय की संभावित निकासी पांच लाख से अधिक हो। संदेह होने वाली कुल प्राप्तियों में अचानक कई गुना वृद्धि होने के बावजूद; निर्धारण अधिकारी द्वारा सदस्यों की पहचान, लेन-देन की वास्तविकता और आय और परिणामी कर देयों को स्थापित करने के लिए उनकी साख की पहचान के लिए एक पूर्ण संवीक्षा या सर्वेक्षण या तलाशी और जब्ती का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गयी ₹ 7,800 करोड़ की सीमा तक आय के अवनिर्धारण की राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और नकदी प्रवाह विवरणों पर आधारित है और केवल सांकेतिक स्वरूप की है। आयकर विभाग की ओर से चूक सीएएसएस की अप्रभावकारिता और इस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम और एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है) के मामले पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने असंतोषजनक ऋण पात्रता और लेन-देन की वास्तविकता के कारण अस्पष्टीकृत नकद साख के 25 *प्रतिशत* की अननुमति दी थी।

अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट और अद्योषित निवेश की अपर्याप्त जाँच निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक के प्रति संकेत करती है जिसके कारण कर की परिहार्य हानि हुई जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है। आयकर विभाग निर्धारणों के दौरान, अस्पष्टीकृत नकदी साख और

निवेश के मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से एक दिशानिर्देश भी तैयार कर सकता है।

मौजूदा प्रारूप में आईटीआर-5 रिटर्न दायर करने के निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए अपने पैन के साथ-साथ सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची का विवरण दर्ज नहीं करता है। आईटीआर-5 में सभी सदस्यों के पैन के साथ विवरण अधिग्रहण करने का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय लेन-देन की प्रभावी निगरानी के लिए सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा से अधिक राशि प्राप्त जमाओं के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है।

4.10 निर्धारण के दौरान अन्य गलतियाँ

लेखापरीक्षा में 8 राज्यों[120] में 12 मामलों में अन्य अनियमितताएं पाई गयी, जिसमें ₹ 1.11 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। लेखापरीक्षा में 7 राज्यों[121] में अधिक आय के अधिक निर्धारण, कर के अधिभार आदि के भी 11 मामले पाए जिनमें ₹ 577.95 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। एक मामले का नीचे उदाहरण दिया गया है।

बॉक्स 4.10: आय के अधिक निर्धारण का चित्रण

क) प्रभार: पीसीआईटी -1, भोपाल
निर्धारण वर्ष: 2016-17

एओपी के रूप में निर्धारण की गई एक सहकारी समिति, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 1,806.18 करोड़ की आय पर पूरा हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी ने ₹ 433.28 करोड़ के 30 *प्रतिशत* व्यय को अननुमत किया जो ₹ 129.98 करोड़ था। कर योग्य आय की गणना करते समय, अस्वीकृति की राशि को गलती से ₹ 1,299.83 करोड़ माना गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 562.76 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 1,169.85 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

4.11 निर्धारणों के दौरान किए गए उच्च मूल्य परिवर्धन

लेखापरीक्षा ने 286 अद्वितीय पैन-एवाई मामलों की जांच की, जहां निर्धारण के दौरान रिटर्न की आय में किए गए परिवर्धन ₹ 0.50 करोड़ से अधिक थे

120 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, एमपी, एनईआर, राजस्थान, महाराष्ट्र।
121 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एनडब्ल्यूआर, ओडिशा।

और यह मांग शून्य थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्धारण में त्रुटियां थीं और क्या कटौती और दावों को सही तरीके से अनुमति दी गई थी।

निर्धारण स्तर पर मांग में कमी के कारणों को टीडीएस और अन्य भुगतान यथा अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर इत्यादि के प्रति मांग के समायोजन या विवरणी की हानि की राशि से कम होने के कारण परिवर्धन के रूप में देखा गया था। ऐसे मामलों में जहां मांग अपील के स्तर पर शून्य हो गई थी वहां सकल मांग से अधिक कर का किया गया भुगतान मुख्य कारण था। ऐसे मामलों में जहां मांग अपीलीय स्तर पर शून्य हो गई थी, यह निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए परिवर्धन को हटाने/निर्धारिती के पक्ष में अपील अनुमत किए जाने के कारण था।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन के स्वरूप और सीमा का पता लगाने के लिए उच्च मूल्य परिवर्धन के साथ ऐसे मामलों की भी जांच की।

i) यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गयी मुख्य अननुमति मदों के कारण थी जैसे मूल्यह्रास, विधि प्रभारों के प्रावधानों, चोरी और धोखाधड़ी, लेखापरीक्षा शुल्क, उधार ली गई निधि पर ब्याज खर्च, भवन निधि, आयकर, ग्रेच्युटी अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना जाने वाला बैंक जमा पर ब्याज आय; अस्पष्टीकृत नकद साख; अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, गैर-निष्पादित परिसम्पतियों के लिए प्रावधान; आय पर छूट से संबंधित खर्च; अधिनियम की धारा 80पी के तहत दावा की गयी कटौती; सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम, विशेष आरक्षित निधि, फर्जी खरीद आदि का परिशोधन।

ii) 35 मामलों, जहां अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के कारण अननुमति दी गयी, में से सात मामलों[122] में अधिनियम की धारा 80पी के तहत दावा की गयी ₹ 466.10 करोड़ की कटौती अननुमत की गई, चूंकि निर्धारिती बैंकिंग कारोबार में लगा हुआ था या गैर-प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में रखा गया था और इसलिए अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की अनुमति के लिए अयोग्य ठहराया गया था। इनमें यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती को केवल तीन मामलों में डीजीआईटी (प्रणाली) डेटा के

122 बिहार, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

अनुसार शून्य के रूप में दिखाया गया था। शेष चार मामलों[123] में अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की राशि डीजीआईटी (सिस्टम) डेटा में कटौती के अनुसार अद्यतन नहीं है। डीजीआईटी (सिस्टम) के आंकड़ों में ₹ 461.28 करोड़ की कटौती के दावे की राशि को शून्य पर अनुमत कटौती की सही राशि के बजाय निर्धारिती द्वारा किए गए दावे के अनुसार दर्शाना जारी रहा।

ऐसे मामलों में जहां कटौती को इस बहाने से अननुमत किया गया कि सहकारी समिति बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई थी, आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए व्यवसाय या गतिविधि के स्वरूप के अनुसार कोड आवंटित करने चाहिए। मौजूदा गतिविधि कोड भी सहकारी बैंकों को पीएसीएस से वर्गीकृत नहीं करते हैं।

इसके अलावा, आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावा की गयी और अनुमत कटौती की जानकारी को सिस्टम में विशिष्ट रूप से अंकित/अभिलिखित/दर्ज किया जाना चाहिए।

4.12 उच्च मूल्य के मांग

लेखापरीक्षा में उन 21 मामलों[124] की जांच की गई जहां रिटर्न की आय निर्धारित की गई आय के समान थी लेकिन मांग उस चरण का निर्धारण करने के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिस पर मांग उठाई गई थी और क्या कर मांग की गणना करते समय पूर्व-प्रदत्त करों को हिसाब में लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ मामलों में, मांग पुनर्निर्धारण चरण (दो मामलों), सत्यापन चरण (दो मामले) और संवीक्षा चरण (चार मामलों) पर उठाई गई थी। 13 मामलों में आईटीआर चरण के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण के चरण पर ही मांग उठाई गई थी। मांग के उद्ग्रहण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ संचय या स्वैच्छिक अंशदान और आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में पूर्व-प्रदत्त करों का लेखांकन, गलत शीर्ष के तहत जमा किए गए अग्रिम कर को सीपीसी, बेंगलुरू द्वारा भुगतान के रूप में नहीं मानना, अपात्र निर्धारिती अर्थात सहकारी बैंक द्वारा किए गए अस्वीकार्य दावे के कारण अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की अननुमति, अन्य पैन से संबंधित निर्धारिती द्वारा

123 केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड

124 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

दावा किया गया प्रदत्त कर, अधिनियम की धाराओं 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण और सीपीसी बेंगलुरू द्वारा अनुमत न की गयी। निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती शामिल थी।

स्वयं आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में मांग बढ़ाने के मामलों की उपस्थिति इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि आयकर विभाग को सीपीसी बेंगलुरू के माध्यम से दावों के समाधान, इसे सक्रिय रूप से हल करने और दावों और भुगतानों के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सीआईटी शिमला, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र[125] प्रभार में सहकारी बैंक के एक मामले में, गलत लेखा शीर्ष में जमा किए गए ₹ 1.50 करोड़ के अग्रिम कर को सीपीसी बेंगलुरू द्वारा अग्रिम कर भुगतान के रूप में नहीं माना गया। हालांकि, निर्धारिती द्वारा अपील दायर करने के बाद सीपीसी बेंगलुरू द्वारा अग्रिम कर भुगतान के रूप में इसकी अनुमति दी गई थी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक्जिट सम्मेलन के दौरान कहा (जुलाई 2020) कि आईटीआर फाइलिंग चरण में निर्धारिती (जो आयकर विभाग के नियंत्रण से भी बाहर हैं) द्वारा की गई इनपुट त्रुटियों के कारण आईटीआर प्रसंस्करण चरण में आयकर विभाग की प्रणाली के माध्यम से गलत तरीके से उत्पन्न मांग को अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रावधान के अनुसार सुधारा जाता है।

4.13 निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए परिवर्धनों में विविधता

अधिनियम की धारा 124(2ए) के प्रावधानों के तहत, यदि उनके समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, निर्धारण अधिकारी का लेखाओं की प्रकृति और जटिलता और राजस्व के ब्याज के संबंध में, यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक है, वह निर्धारिती को लेखाकार द्वारा लेखाओं को लेखापरीक्षित किए जाने और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित किए गए निर्धारित प्रपत्र में ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और ऐसे विवरणें जिन्हें निर्धारित किया गया हो और ऐसे अन्य विवरणों जिनकी निर्धारण अधिकारी को आवश्यकता हो, को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकते हैं।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारियों को आय का सही तरीके से अवधारण और निर्धारण करना होता है। लेखाओं, रिकॉर्डों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों के साथ प्रत्येक संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत में जांच होना अपेक्षित है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में समय-समय निर्देश भी जारी किए हैं।

125 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब

लेखापरीक्षा ने 288 अद्वितीय पैन मामलों[126] की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण वर्षों में एक ही निर्धारिती के संबंध में निर्धारणों के दौरान अनुमति देते समय अलग-अलग रूख अपनाया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने 22 निर्धारण मामले (10 अद्वितीय पैन मामले) में अलग-अलग रूख अपनाया था जिसमें एक ही निर्धारिती के मामले में विभिन्न नि.व. में समान रूप से अनुमति या अननुमति को नहीं दिया गया था उदाहरणार्थ सहकारी बैकों के पास जमाओं से प्राप्त ब्याज को असमान माना गया था अर्थात एक ही निर्धारिती के मामले में विभिन्न नि.व. में अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत कटौती की अनुमति के लिए या तो पात्र आय या अपात्र आय माना गया था।

दो मामलों का नीचे बॉक्स 4.11 में उदाहरण दिया गया है:

बॉक्स 4.11: निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धनों में भिन्नता के लिए उदाहरण

(क) प्रभार: प्रसीआईटी-I लखनऊ,
निव: 2014-15

निर्धारिती एक एओपी, का संवीक्षा निर्धारण, दिसम्बर 2016 में ₹ 0.02 करोड़ की 'दान एवं चैरिटी' की राशि और ₹ 0.02 लाख के कर के देरी से भुगतान का अननुमति करके ₹ 0.20 करोड़ की कुल आय पर पूरा हुआ था और निर्धारिती की आय में इसी को वापस जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारण से पहले कोई पूछताछ नहीं की गई थी। नि.व. 2011-12 एवं नि.व. 2012-13 के लिए संवीक्षा निर्धारण जुलाई 2014 और सितम्बर 2015 में क्रमश: ₹ 111.55 करोड़ और ₹ 121.70 करोड़ की आय के साथ पूरा किया गया था जो अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारण से पहले पूछताछ के आधार पर क्रमश: ₹ 106.90 करोड़ और ₹ 121.98 करोड़ की अननुमति/ परिवर्धन के बाद था। अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारण से पहले पूछताछ नहीं करने की चूक के परिणामस्वरूप आय का गलत निर्धारण हुआ।

आयकर विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2020) कि निर्धारिती नि.व. 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमश: ₹ 4.25 करोड़ और ₹ 12.36 करोड़ के गबन में शामिल था। उपरोक्त के मद्देनजर, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा की है, लेकिन नि.व. 2013-14 के दौरान गबन का कोई मामला शामिल नहीं है।

126 वि.व. 2014-15 से 2018-19 के दौरान निर्धारण किए गए 1108 निर्धारण मामले

इसलिए, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए सही तरीके से निर्धारण पूरा कर लिया था। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का दो निर्धारण वर्षों में पता चला था, जो समान स्तर पर जांच की ओर ध्यान दिलाता था। इसके अलावा, निर्धारण आदेश सहित मामले के रिकॉर्डो में कोई विवरण/ दस्तावेज शामिल नहीं थे जो यह सुनिश्चित करते है कि नि.व. 2014-15 के दौरान कोई भी गबन का मामला शामिल नहीं था।

(ख) प्रभार: प्रसीआईटी-I लखनऊ,

नि.व.: 2012-13

एक एओपी के रूप में निर्धारित एक क्रेडिट सहकारी समिति निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, मार्च 2015 में ₹ 14,509.81 करोड़ के परिवर्धन के बाद ₹ 14,436.65 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। निर्धारण आदेश के पैरा 5 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने माना कि ₹ 13,149.08 करोड़ के वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त जमा राशि को अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद साख था।

लाभ और हानि खाते की अनुसूची-11 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने सदस्यों से प्राप्त जमा पर ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 311.10 करोड़ की राशि का दावा किया था और अनुमति दी थी जिसे निर्धारण अधिकारी ने अस्पष्टीकृत नकद साख माना था, इसलिए तद्नुरूपी व्यय अर्थात् जमा पर ब्याज की अननुमति होनी चाहिए थी और इसे निर्धारिती की आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप 36 महीनों के लिए अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 34.61 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 130.74 करोड़ के कर व्यय के परिणामस्वरुप की परिणामी के साथ कम वसूली ₹ 311.10 करोड़ के व्यापार व्यय की अनियमित अनुमति दी गई।

नि.व. 2013-14 एवं 2016-17 के लिए इस निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने सदस्यों से जमाओं को अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्ट आय के रूप में लिया और सदस्यों से जमा राशी पर तद्नुरूपी ब्याज व्यय को अननुमति दी।

आयकर विभाग ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2020) कि अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रस्ताव भेजा जा चुका था।

4.14 सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से संबंधित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षाओं से अन्य टिप्पणियां (नमूने के शामिल नहीं मामलों से सम्बंधित)

पूर्ववर्ती अध्याय और इस अध्याय में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अलावा, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के संबंध में 128 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (जैसा कि परिशिष्ट 3 में दिखाया गया है) देखी गई थी, जिनका निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात 2014-15 से 2018-19 की कवरेज अवधि के दौरान निर्धारण किया गया था, जो नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान चयनित नमूनों के अंतर्गत नहीं आई, जिसमें ₹ 130.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। अनियमितताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां, ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां, अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत कटौतियों और व्ययों की गलत अनुमति और हानियों का अनियमित समंजन शामिल था। दो मामलों का नीचे बॉक्स 4.12 में वर्णन किया गया है:

बॉक्स 4.12 नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का चित्रण

क) प्रभार: प्रसीआईटी-2, अहमदाबाद
नि.व.: 2013-14

निर्धारिती एक सहकारी बैंक है, जो बैंकिग गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसने नि.व. 2012-13 के लिए अपनी आय की रिटर्न 28 सितम्बर 2013 को ₹ 13.90 करोड़ आय घोषित करते हुए दाखिल की। उसी का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के तहत (जनवरी 2016) रिटर्न की गई आय को स्वीकार करके किया गया था। निर्धारण रिकॉर्डो के अनुसार, निर्धारिती ने कम्प्यूटर और बाह्य उपकरणों की खरीद पर ₹ 2.06 करोड़ का व्यय राजस्व व्यय के रूप में मानते हुए डेबिट किया। चूंकि कम्प्यूटर की खरीद पर होने वाले व्यय में समय अवधि में स्थायी लाभ देने की क्षमता है अत: यह पूंजीगत व्यय है और इसे राजस्व व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार कम्प्यूटर और बाह्य उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 2.06 करोड़ के ऐसे राजस्व व्यय को अननुमत करना अपेक्षित था। हालांकि, निर्धारिती ने ऐसे पूंजीकृत कम्प्यूटर पर अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का दावा करने के लिए पात्र था। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ (मूल्यह्रास अनुमत के बाद) की आय का कम निर्धारण हुआ और इसके फलस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 0.15 करोड़ के ब्याज सहित

₹ 0.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2019) कि मामले को पुन: खोलने के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था।

ख) प्रभार: प्रसीआईटी-2, सूरत
नि.व.: 2014-15

एक एओपी के रूप में एक सहकारी क्रेडिट समिति, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण जून 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 0.67 करोड़ की आय के अवधारण के साथ पूरा किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने सहकारी बैंकों में अधिशेष निधियों को जमा करने से अर्जित ₹ 0.49 करोड़ की ब्याज आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत कटौती का दावा किया था। चूंकि सहकारी बैंकों में निवेश से अर्जित ब्याज आय अन्य स्रोतों से आय है, इसलिए इसे अननुमत करना अपेक्षित था। इस चूक के परिणामस्परूप ₹ 0.49 करोड़ तक आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.19 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने नए निर्धारण की रूपरेखा बनाने के निर्देश के साथ अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित किए गए संवीक्षा निर्धारण आदेश को रद्द करके अधिनियम की धारा 263 के तहत (मार्च 2019) उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

4.15 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- लेखापरीक्षा ने 858 मामलों में ₹ 12,328.40 करोड़ के कर प्रभाव वाली कटौतियों/व्ययों/समंजन की अनुमति और हानियों को अग्रेनीत करने पर कर और ब्याज की संगणना में गलतियों, टीडीएस की गैर-कटौती, शास्ति के गैर-उद्ग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अननुपालन के उदाहरणों को देखा। यह ध्यान देना तर्कसंगत है कि निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित थी और निर्धारण आयकर विभाग की प्रणालियों और अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरे किये जा रहे थे। यह निर्धारण प्रक्रिया और आयकर विभाग की आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
- संवीक्षा के दौरान मामलों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। संवीक्षा निर्धारण मामलों में से 131 मामलों में, जहां चयन के लिए मानदंड 'अधिनियम के अध्याय VIए के तहत बड़ी कटौतियां थी, उसकी पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई थी।

- लेखापरीक्षा में मांग को उठाने के ऐसे दृष्टांत पाए गए जहां निर्धारण के विभिन्न चरणों में रिटर्न की गई आय निर्धारण की गई आय के बराबर थी, अर्थात आईटीआर का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण, सुधार, पुनर्निधारण आदि लेखापरीक्षा ने इन मांगों को उठाने के लिए अनेक कारणों को देखा जैसे आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में पूर्व प्रदत्त करों का लेखांकन, गलत शीर्ष के तहत जमा किए गए अग्रिम कर को सीपीसी बेंगलुरू द्वारा भुगतान के रूप में नहीं माना जाना आदि। ऐसे मामले इस तथ्य की ओर संकेत करते है कि दावों और भुगतानों के डेटा को निर्धारण के समय में मिलान नहीं किया गया है।
- लेखापरीक्षा ने निर्धारण के दौरान किए गए उच्च मूल्य परिवर्धनों से जुड़े मामलों की जांच की और उन उदाहरणों को देखा जहां अधिनियम की धारा 80पी(4) के तहत कटौती के दावे को इस बहाने पर अस्वीकृत किया गया था कि सहकारी समिति बैंकिग कारोबार में लगी हुई थी। मौजूदा गतिविधि कोड सहकारी बैंको को प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियों से अलग नहीं करते है। आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड आवंटित करना चाहिए।
- 20.7 *प्रतिशत* मामले (151 अभ्युक्तियां) उन सत्वों से संबंधित हैं जो एओपी के रूप में पंजीकृत नहीं थे। पैन पंजीकरण में एकरूपता के अभाव में निर्धारितियों के समान वर्ग की श्रेणी, सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किए गए इस मामले में, आयकर विभाग अपने पास उपलब्ध आंकड़ों से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा।

4.16 सिफारिशें

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की संगणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों को पुनरीक्षण कर सकता है और परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र रख सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण आश्वासन तंत्र पेश कर सकता है कि कर की गणना में त्रुटियां कम से कम की जाएं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि उन मामलों में उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है जहां लेखापरीक्षा ने गलतियों को देखा है। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जुलाई 2020) के दौरान यह कहा गया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितम्बर 2019 में फेसलैस ई-एसेसमेंट स्कीम को अधिसूचित किया है जिसे सभी प्रकार के निर्धारितियों के लिए लागू और विस्तारित किया गया हैं। इस योजना ने समूह निर्धारण की अवधारणा को पेश किया है जिसमें आईटीओ एक निर्धारण करता है, संयुक्त आयुक्त की मंजूरी लेता है और उसके बाद ऐसे मसौदा निर्धारण आदेशों को समीक्षा इकाई को मसौदा निर्धारण आदेश की समीक्षा के लिए भेजा जाता है, जिसमें चर्चा किए गए/मसौदा निर्धारण आदेश में जोड़े गए मुद्दों की आगे की जांच और प्रस्तावित किए गए संशोधनों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच को शामिल किया जाता है। यह भी कहा गया था कि वि.व. 2020-21 में शुरू की जाने वाली अधिकांश जांच ई-एसेसमेंट स्कीम के तहत होगी और इस योजना के तहत इस प्रकार की त्रुटियों और गलतियों का घटित होना कम हो जाएगा।

ख) अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों होने के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों और कटौतियों की अनियमित अनुमति के कारणों की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि संवीक्षा निर्धारण उल्लिखित सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। हालांकि, उपयुक्त मामलों में उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है, यदि बाद में लेखापरीक्षा, समीक्षा और निरीक्षण के दौरान कोई गलती पाई जाती है। प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में इन मुद्दों को शामिल करना आगे प्रस्तावित है ताकि गलतियां न हों।

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरणों को देखा गया, जहां निर्धारण अधिकारियों ने व्ययों और कटौतियों की अनियमित अनुमति दी थी। लेखपरीक्षा का विचार है कि आयकर विभाग यह अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और

निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मानक परिचालन प्रक्रिया में उसी को शामिल करने पर विचार कर सकता है जिसे जारी करने का प्रस्ताव है।

ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं भूल वश हुई गलतियां है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि यह पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा देखा जाता है, कि क्या गलती वास्तव में हैं या नहीं। जहां कहीं आवश्यक हो उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि सीबीडीटी यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं वश हुई गलतियां हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग को दावों और भुगतानों में अन्तर का निपटान करने के लिए सक्रिय रूप से सीपीसी बैंगलुरू के माध्यम से दावों के मिलान पर ध्यान केद्रिंत करना चाहिए और उसी के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधन विकसित करने चाहिए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि उसी के गैर-मिलान की संभावना से बचने के लिए दावों और भुगतानों में अंतर का निपटान करने के लिए अग्रसक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

ङ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कटौती के दावों की प्रभावी निगरानी के लिए निर्धारण के दौरान अभिनिश्चित किए गए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड को निर्दिष्ट/अद्यतन करने पर विचार कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि नि.व. 2019-20 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग के लिए निर्देशों में, एक सहकारी समिति/सहकारी बैंक को अपनी प्रास्थिति प्रस्तुत करना निम्नानुसार अपेक्षित है: क) प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या सहकारी बैंक, ख) अन्य सहकारी समिति, ग) ग्रामीण विकास बैंक, घ) अन्य सहकारी बैंक। इसमें आगे कहा गया कि एक निर्धारिती के लिए आईटीआर में अपनी कारोबार गतिविधि के बावजूद अपनी प्रास्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इस प्रकार, आईटीआर फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज किए जा रहे है। इसके अलावा नि.व. 2020-21 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग के लिए निर्देशों में प्राथमिक कृषि समितियों और सहकारी बैंक के लिए एक अलग श्रेणी प्रदान की जाएगी।

एक्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2020) के दौरान यह भी कहा गया कि नि.व. 2020-21 के आईटीआर फार्म को अधिसूचित कर दिया गया है और यूटिलिटी फॉर्म को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं। वर्तमान प्रारूप में सहकारी बैंको और पीएसीएस को विभिन्न श्रेणियों के तहत रखा गया हैं और उन्हें मिलाया नहीं जाएगा। यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 80पी के तहत विभिन्न कटौतियों के लिए 14 नये कोड है। एक करदाता को अनुसूची 80पी के तहत वर्गीकृत करना होगा जो उचित कोड को कैप्चर करेगा जिसके तहत निर्धारिती कटौती का दावा कर रहा है। यह भी कहा गया कि कार्यान्वित उपयोगिताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक बार वे चालू हो जाते हैं तो इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि इन सुझावों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का तर्क है कि प्रास्थिति को आईटीआर फॉर्म में कैप्चर किया जा रहा है और नि.व. 2019-20 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग करने के निर्देशों के अनुसार, एक सहकारी समिति/सहकारी बैंक को अपनी प्रास्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित है: क) प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या सहकारी बैंक, ख) अन्य सहकारी समिति, ग) ग्रामीण विकास बैंक, घ) अन्य सहकारी बैंक स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी एओपी/बीओआई के लिए निर्दिष्ट प्रास्थिति कोड नि.व. 2019-20 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग करने के लिए निर्देशों के अनुसार 3 है और एओपी/बीओआई के रूप में वर्गीकृत निर्धारितियों के तहत उप-प्रास्थिति में उल्लिखित श्रेणियों के संबंध में संहिताकरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा का मानना है कि कोड को स्पष्ट रूप से

पहचानने और सहकारी बैंको एवं पीएसीएस को कैप्चर करने के लिए अद्यतन किया जा सकता है।

च) आईटीआर-5 में एक सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची उनके पैन के साथ पिछले वर्ष की रिटर्न दाखिल करने के निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक हो सकती है सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा राशि से ऊपर प्राप्त की गयी जमा राशि के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रसंभाव्य वित्तीय अनियमितताओं की निगरानी को सरल बनाने के लिए विनियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को अस्पष्टीकृत नकदी साख की महत्वपूर्ण मात्रा वाले उदाहरणों की रिपोर्टिंग करने पर विचार कर सकता है।

नीलेश कुमार साह

नई दिल्ली **(नीलेश कुमार साह)**

दिनांक: 19 नवम्बर 2020 **प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-II)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चन्द्र मुर्मू)**

दिनांक: 20 नवम्बर 2020 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**